

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

**समक्ष : बी.एम. शर्मा,**

**सदस्य**

अपील-5575/2018/रीवा/भू.रा. विरुद्ध आदेश दिनांक 07.09.2018 पारित  
द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 47/पुनर्विलोकन/15-16

1. श्रीमती सविता देवी पत्नी स्व. उमाशंकर मिश्रा, उम्र 85 वर्ष
  2. हरगोविंद प्रसाद, उम्र 50 वर्ष, तनय स्व. उमाशंकर मिश्रा
  3. नटवर प्रसाद, उम्र 48 वर्ष, तनय स्व. उमाशंकर मिश्रा
  4. अरिमर्दन प्रसाद, उम्र 65 वर्ष, तनय स्व. उमाशंकर मिश्रा
  5. रमागोविंद, उम्र 60 वर्ष, तनय स्व. उमाशंकर मिश्रा
- सभी निवासीगण-ग्राम सेंदहाई टीकर तह. हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

.....अपीलार्थीगण

**विरुद्ध**

1. रामनाथ गुप्ता उम्र 50 वर्ष तनय श्री बैजनाथ गुप्ता  
निवासी- ग्राम टीकर तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
2. सत्यनारायण गुप्ता उम्र 45 वर्ष तनय श्री बैजनाथ गुप्ता  
निवासी- ग्राम टीकर तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
3. शंकरदयाल गुप्ता उम्र 33 वर्ष तनय श्री बैजनाथ गुप्ता  
निवासी- ग्राम टीकर तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

.....प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्रीमती शिवप्रसाद द्विवेदी  
प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण पाण्डेय

**आदेश**

**(आज दिनांक 24.05.2019 को पारित)**

यह अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 47



/पुनर्विलोकन/15-16 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-44(3) के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा नायब तहसीलदार टीकर जिला रीवा के न्यायालय में एवं आवेदन प्रस्तुत कर खसरा नं. 2140/2 रकवा 0.15 ए० एवं 2140/3 रकवा 0.35 ए० भूमि का नामांतरण किए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 11.08.2003 द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 10.07.2008 द्वारा खारिज की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 25.11.2015 द्वारा खारिज की गई। अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित उक्त आदेश के विरुद्ध एक पुनर्विलोकन याचिका दायर की गई जो उनके आदेश दिनांक 07.09.2018 द्वारा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त किए गए। अपर आयुक्त के इसी पुनर्विलोकन आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील के मुख्य आधार यह हैं कि धारा-51 के अधीन पुनर्विलोकन की शक्तियां सीमित हैं जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 के अधीन केवल आधारों पर ही हो सकता है, तत्संबंधी कोई भी आधार वर्णित नहीं थे। धारा 51 के परंतुक के अनुसार किसी पूर्वाधिकारी के आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन की कार्यवाही के लिए उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की गई तो धारा-51 के अधीन ऐसा आदेश पोषणीय नहीं होता, जैसा कि 2012 आर.एन. पृष्ठ 35 में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदगण का आक्षेप यह था कि खसरे में गलत प्रविष्टि है तथा प्रश्नाधीन भूमि काफी अर्सा पूर्व से उनके पट्टे



कब्जे में है वस्तुतः ऐसा बिन्दु तो अधिक से अधिक स्वत्व का बिन्दु हो सकता था व कैसे उनके नाम भूमि दर्ज हुई स्पष्ट करना चाहिए था, इस तरह जो पुर्नविलोकन आवेदन पेश किया गया है, संहिता की धारा-51 के विपरीत है और पुर्नविलोकन आदेश निरस्त होने योग्य था।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि रिव्यू के आधार पाये जाते हो अर्जी स्वीकार करके मूल मामले को, दोनों पक्षों के गुण-दोष पर सुनवाई हेतु नियत किया जाएगा। यानी केस रीओपन होगा व पुनः सुनवाई की जाएगी। न्यायदृष्टांत 1996 आर.एन. 118 (उच्च न्यायालय) व 1970 आर.एन. 104 व 1966 आर.एन. पेज 521 (उच्च न्यायालय) की व्यवस्था विचारणीय है।

4. प्रत्यर्थागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों को देखे बिना पारित किए गए निर्णय को देखकर पुर्नविलोकन की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सही पाया और पुर्नविलोकन स्वीकार कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दिया जो विधितः उचित था।


उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष धारा-44(3) के अधीन अपील प्रस्तुत की है जो विधि के अनुसार सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि राजस्व मण्डल के समक्ष जो आदेश विचारणीय है। वह द्वितीय अपील का आदेश हो चुका है, और द्वितीय अपील के आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष अपील नहीं हो सकती। इसी आधार पर प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अपीलार्थागण ने अपने अपील मेमो में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 के आधारों का उल्लेख नहीं किया गया है कि कौन से आधार इस प्रकरण में उपलब्ध नहीं है जबकि अपीलार्थागण के पक्ष में किए गए नामांतरण आदेश जो खसरा सुधार के आवेदन में दिया गया था, वह विधि विरुद्ध है। उसे पुर्नविलोकन में लेकर निरस्त करने में



अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है। उक्त आधार पर यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

5- उभयपक्षों के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक ने महत्वपूर्ण वैधानिक प्रश्न यह उठाया है कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत अपर आयुक्त को पुर्नविलोकन की अनुमति राजस्व मण्डल से प्राप्त करनी चाहिए थी, किंतु उनके द्वारा प्राप्त नहीं की गई। इस प्रकार यह आदेश प्रथम दृष्टया ही शून्य है। अनावेदक अभिभाषक का तर्क है कि पुर्नविलोकन आवेदन उसी अधिकारी द्वारा विचारार्थ ग्राह्य किया गया है जिसके द्वारा पूर्व में आदेश पारित किया गया है। इसलिए उक्त आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं हुई है। अपर आयुक्त न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा दिनांक 17.12.2015 को अपर आयुक्त के समक्ष धारा 51 के तहत पुर्नविलोकन आवेदन प्रस्तुत किया और उसी दिन आवेदन अग्रिम सुनवाई हेतु ग्राह्य किया गया। पुर्नविलोकन आवेदन सुनवाई हेतु मंजूर करने के पूर्व आवेदकगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। न्यायदृष्टांत बिहारीलाल विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा अन्य 2010 राजस्व निर्णय 124 (माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एस. गर्ग, माननीय न्यायमूर्ति श्री यू.सी. महेश्वरी, उत्तरप्रदेश हाईकोर्ट) में पारित आदेश के अनुसार - "पुर्नविलोकन के पूर्व दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देना चाहिए यन्त्रवत पुर्नविलोकन की अनुमति देना न्यायसंगत नहीं है।" इसी प्रकार अंतिम कुमार तथा अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा अन्य 2007 राजस्व निर्णय 25 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार - "पक्षकार को सूचना दिए बिना पुर्नविलोकन की अनुमति अवैधानिक है।" उपरोक्त न्यायदृष्टांतों एवं संहिता के प्रावधानों के अनुसार आवेदकगण को सूचना दिए बिना अपर आयुक्त ने पुर्नविलोकन आवेदन विचारार्थ ग्राह्य कर त्रुटि की है। आदेश में दूसरी गंभीर त्रुटि ये है कि प्रकरण में जिस अधिकारी ने मूल आदेश पारित किया है उससे हटकर अन्य अधिकारी ने पुर्नविलोकन आदेश पारित किया है। मूल आदेश पारित करने वाले अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने पर अन्य




अधिकारी को आदेश पारित करने के पूर्व उच्च सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी चाहिए। इस प्रकरण में अपर आयुक्त को राजस्व मण्डल की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही पुर्नविलोकन आदेश पारित करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। अतः यह आदेश प्रथमदृष्टया ही अवैध एवं शून्य है। अब पुर्नविलोकन आदेश में अपर आयुक्त द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर गौर किया जाए तो अपर आयुक्त ने यह पाया है कि अनावेदकगण भूमिस्वामी थे तथा तहसीलदार ने बिना किसी कानूनी अधिकार के आवेदकगण का नाम दर्ज कर दिया है। वर्ष 1958-59 से आवेदिका के पति का नाम भूमिस्वामी लेख होने का कोई साक्ष्य नहीं है जबकि तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण में वर्ष 1973 के अधिकार अभिलेख की प्रति संलग्न है जिसमें आवेदकगण के पति एवं पिता का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। इस प्रकार अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष विधि अनुसार सही नहीं है। अपर आयुक्त का दूसरा निष्कर्ष यह है कि वर्ष 1958-59 से 2009 के बीच अनेक प्रकार के अंतरण हुए होंगे। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जिससे कि अनावेदकगणों को भूमि का स्वामित्व मिला हो। अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष केवल कल्पनाओं एवं संभावनाओं पर आधारित है, क्योंकि यदि अनावेदकगण को किसी वैध अंतरण द्वारा संपत्ति में स्वत्व प्राप्त हुआ है तो उसके विलेख एवं साक्ष्य प्रस्तुत करना अनावेदकगण का दायित्व था, किंतु उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई विक्रय-पत्र, दान-पत्र अथवा संपत्ति अंतरण का कोई विलेख किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपर आयुक्त ने यह भी निष्कर्ष दिया है कि आवेदक एवं अनावेदक अलग-अलग परिवार के हैं जबकि सत्यता यह है कि परिवार सजरा के अनुसार आवेदकगण मृतक भूमिस्वामी के पति/पिता हैं। अपर आयुक्त का यह भी निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण का भूमि पर कब्जा बताया है, किंतु कोई साक्ष्य नहीं है। जबकि तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण में इस आशय का पटवारी प्रतिवेदन एवं पंचनामा संलग्न है। उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि अपर आयुक्त द्वारा मूल न्यायालय के प्रकरण का सूक्ष्मता से अध्ययन किए बिना एवं धारा 51 के प्रावधानों के विपरीत राजस्व



मण्डल की अनुमति प्राप्त किए बिना आदेश पारित किया है। जो अधिकारिता रहित एवं शून्य होने से स्थिर रखने योग्य नहीं है।

अतः विचाराधीन निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2018 निरस्त किया जाता है।

  
(बी.एम. शर्मा)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर

